**भारत सरकार**

**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 3644**

**सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण 1948 (शक)**

**पुरुलिया जिले में ईएसआईसी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं**

**†3644. श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि पुरुलिया जिले में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के अंतर्गत शामिल श्रमिकों को पर्याप्त विशेषज्ञताओं, नैदानिक सुविधाओं और चौबीसों घंटे सेवाओं से युक्त पूर्णतः विकसित ईएसआईसी अस्पताल के अभाव के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार के पास पुरुलिया में वर्तमान ईएसआईसी औषधालयों की स्वीकृत बेड क्षमता, विशेषज्ञ चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ और आधुनिक नैदानिक उपकरणों सहित पूर्ण ईएसआईसी अस्पताल के रूप में उन्नत करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पुरुलिया में ईएसआईसी अस्पताल स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन या सहायता के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की स्थिति क्या है तथा क्या राज्य स्तर पर हुई देरी से परियोजना का कार्यान्वयन प्रभावित हुआ है;

(घ) वर्तमान में पश्चिम बंगाल में कार्यरत ईएसआईसी अस्पतालों, औषधालयों और इंश्योरेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर (आईएमपी) इकाइयों की कुल संख्या कितनी है; और

(ङ) क्या सरकार की पश्चिम बंगाल के पुरुलिया सहित कम सेवा वाले और औद्योगिक रूप से विकासशील जिलों में ईएसआईसी स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना का विस्तार करने की योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री**

**(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)**

(क) से (ङ): ईएसआईसी स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे का विस्तार एक सतत प्रक्रिया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), ईएसआईसी के मानदंडों के अनुसार किसी क्षेत्र में नए ईएसआई अस्पतालों/ औषधालयों की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान करता है।

वर्तमान में, लाभार्थियों को प्राथमिक देखभाल सेवाएं, ईएसआई (चिकित्सीय लाभ) योजना के अधीन एक टाई-अप सेवा औषधालय-पुरुलिया टाउन के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं।

**जारी–2/-**

पुरुलिया, ईएसआई अस्पताल की स्थापना के लिए अपेक्षित न्यूनतम बीमित व्यक्तियों (आईपी) आबादी के संबंध में निर्धारित ईएसआईसी मानदंडों को पूरा नहीं करता है। तदनुसार, वर्तमान में इस स्थान पर ईएसआई अस्पताल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल सरकार से पुरुलिया में ईएसआईसी अस्पताल स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

वर्तमान में पश्चिम बंगाल में संचालित ईएसआईसी अस्पतालों, औषधालयों और बीमा चिकित्सक (आईएमपी) इकाइयों की कुल संख्या क्रमशः 14, 41 और 169 है।

****